सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 155/2012

1 बीरबल आयु 65 वर्ष पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी सुबेदार की तन महाउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चन्द्रसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र बालुराम।
2 महिपाल आयु 20 वर्ष पुत्र निहाल सिंह।
3 सुनिल आयु 12 वर्ष पुत्र निहालसिंह।
4 विधाधर आयु 40 वर्ष दत्तक पुत्र सुरजाराम उर्फ सुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी सुबेदार वाली तन मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 सुमित्रा आयु 30 वर्ष पुत्री निहाल पत्नी सोहनसिंह।
6 विमला आयु 32 वर्ष पुत्री निहालसिंह पत्नी रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण टीटनवाड़ ढाका की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 28.01.2011 एवं संशोधित डिक्री 28.03.2011 बमुकदमा बीरबल आदि बनाम चन्द्रसिंह आदि दावा विभाजन मु.नं. 15/2010

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 88/2013

1 श्रीमती पतासी देवी पुत्री बालुराम पत्नी पितराम।
2 श्रीमती चान्दकोर पुत्री बालुराम पत्नी रामदेव गिल समस्त जाति जाट निवासीगण आकावाली डुगरी की ढाणी तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती भागोती देवी पुत्री बालुराम पत्नी श्री रामधन जाति जाट निवासी खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बीरबल आयु 65 वर्ष पुत्र बालुराम।
2 चन्द्रसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र बालुराम।
3 महिपाल आयु 20 वर्ष पुत्र निहाल सिंह।
4 सुनिल आयु 12 वर्ष पुत्र निहालसिंह।
5 विधाधर आयु 40 वर्ष दत्तक पुत्र सुरजाराम उर्फ सुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी सुबेदार वाली तन मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 सुमित्रा आयु 30 वर्ष पुत्री निहाल पत्नी सोहनसिंह।
7 विमला आयु 32 वर्ष पुत्री निहालसिंह पत्नी रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण टीटनवाड़ ढाका की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम बखिलाफ डिक्री उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी दिनांक 28.01.2011 एवं संशोधित
डिक्री 28.03.2011 बमुकदमा बीरबल आदि बनाम
चन्द्रसिंह आदि दावा विभाजन मु.नं. 15/2010

अपील संख्या 98/2013

1 श्रीमती पतासी देवी पुत्री बालुराम पत्नी पितराम।
2 श्रीमती चान्दकोर पुत्री बालुराम पत्नी रामदेव गिल समस्त जाति जाट निवासीगण आकावाली डुगरी की ढाणी तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती भागोती देवी पुत्री बालुराम पत्नी श्री रामधन जाति जाट निवासी खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बीरबल आयु 65 वर्ष पुत्र बालुराम।
2 चन्द्रसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र बालुराम।
3 महिपाल आयु 20 वर्ष पुत्र निहाल सिंह।
4 सुनिल आयु 12 वर्ष पुत्र निहालसिंह।
5 विधाधर आयु 40 वर्ष दत्तक पुत्र सुरजाराम उर्फ सुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी सुबेदार वाली तन मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 सुमित्रा आयु 30 वर्ष पुत्री निहाल पत्नी सोहनसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

7 विमला आयु 32 वर्ष पुत्री निहालसिंह पत्नी रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण टीटनवाड़ ढाका की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम बखिलाफ डिक्री उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी दिनांक 29.10.2010 बमुकदमा
बीरबल आदि बनाम चन्द्रसिंह आदि दावा विभाजन
मु.नं. 15/2010

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.12.2019

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 15/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2010, 28.01.2011 एवं 28.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनों अपीलों मे पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से तीनो का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां तीनों पत्रावलियों में अलग—अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण बीरबल, निहाल, झिमकौरी, सुरजाराम एवं विधाधर ने विचारण न्यायालय में ग्राम मझाऊ की भूमि खसरा नम्बर 356,357,358 व 359 बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी चन्द्रसिंह ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी स्वीकार किया एवं काउन्टर क्लेम खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह तीनों अपीले प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्तावों में रास्ते का प्रावधान नही रखा गया है। अन्तिम डिक्री के बाद मुकेश कुमार पुत्र चन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्तिम डिक्री में संशोधन कर दिया। जबकि मुकेश कुमार पक्षकार भी नही था। मौके पर जिसका जहां कब्जा व मकान है उसे पृथक स्थान पर दर्शा दिया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व डिक्री की है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्राथमिक डिक्री में तीन बहिनों के नाम डिक्री जारी की गई। जबकि अन्तिम डिक्री चार बहिनो के नाम जारी कर दी। प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री अपास्त करने का निवेदन किया। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है दिन प्रतिदिन का कोई कारण अंकित नही किया है। डेढ़ वर्ष की देरी से अपील पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज की जावें। विभाजन के वाद में खातेदार ही पक्षकार बनते है पतासी देवी कोई हिस्सा चाहती है तो प्रथक से दावा पेश करना चाहिए अपील पोषणीय नही है। माता की मृत्यु पर उनके हिस्से की भूमि किस प्रकार बंटेगी यह तथ्य विचारण न्यायालय तय करेगा। अपील सारहीन है खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2013 राजस्थान हाईकोर्ट पेज 441 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्तावों में रास्ते का प्रावधान नही रखा गया है। अन्तिम डिक्री के बाद मुकेश कुमार पुत्र चन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्तिम डिक्री में संशोधन कर दिया। जबकि मुकेश कुमार पक्षकार भी नही था। मौके पर जिसका जहां कब्जा व मकान है उसे पृथक स्थान पर दर्शा दिया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। प्राथमिक डिक्री में तीन बहिनों के नाम डिक्री जारी की गई। जबकि अन्तिम डिक्री चार बहिनो के नाम जारी कर दी।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री, विभाजन प्रस्ताव, अन्तिम डिक्री विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित नही की है। ऐसी स्थिति में तीनों अपीले स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकारों को संयोजित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी करें, तहसीलदार स्वयं से मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवावें, उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर